न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डीबी/टीए/2689/2002/अलवर

1- कुडिया राम पुत्र दीनदयाल,
2- रामअवतार पुत्र दीनदयाल जाति माली निवासीगण ग्राम तिजारा, तहसील तिजारा जिला अलवर।

------ अपीलांट्स

बनाम

1- मंगली स्त्री मुंशीराम जाति सैनी पुत्री दीनदयाल निवासी हाल बहादरपुर तहसील व जिला अलवर।
2- फूलवती स्त्री लेखराम जाति सैनी पुत्री दीनदयाल निवासी नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)
3- मु0 शकुन्तला पत्नि दौलतराम सैनी पुत्री दीनदयाल निवासी नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)
4- सरोज स्त्री राजेश कुमार सैनी पुत्री दीनदयाल निवासी बड़ोद तहसील बहरोड़ जिला अलवर।

------ असल रेस्पोडेन्ट्स

5- दीनदयाल पुत्र नानगा - फौत जरिये वारिसान-
5/1. गिन्दो पत्नि दीनदयाल।
6- लालसिंह पुत्र दीनदयाल,
7- गिर्राज पुत्र बुद्धा,
8- मु0 झब्बो बेवा बुद्धा,
9- मु0 केसर पुत्री बुद्धा, फौत जरिये वारिसान-
9/1. पोखर पुत्र जयराम जाति माली निवासी ग्राम मण्डा तहसील व जिला अलवर।
9/2. मु0 लोडी पत्नि शंकरलाल पुत्री जयराम निवासी गुरजा का बास तहसील व जिला अलवर।
9/3. मु0 छुट्टिया पत्नि खिलाड़ीराम पुत्री जयराम निवासी गुरजा का बास तहसील व जिला अलवर।
10- बाबूलाल पुत्र शादी,
11- रोहतास पुत्र शादी,
12- पूरण पुत्र शादी,
13- मु0 भरमल बेवा शादी, मृतक जरिये वारिसान-
13/1. बाबूलाल पुत्र शादीलाल,
13/2. रोहतास पुत्र शादीलाल,
13/3. पूरण पुत्र शादीलाल सभी जाति माली निवासी ग्राम व तहसील तिजारा जिला अलवर।
14- मेहरचन्द पुत्र छोटेलाल अहीर,

अपील/डीबी/टीए/2689/2002/अलवर
कुडियाराम बनाम मंगली

15- रामपाल पुत्र छोटेलाल अहीर,
16- उदमी पुत्र छोटेलाल अहीर निवासीगण तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर।
17- राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक।

---- रेस्पो0 तरतीबी

<u>खण्ड पीठ</u>
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य
डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

<u>उपस्थित</u>
(1) श्री माधवराज, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री मुकेश जैन व श्री सुनील पारीक, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट।

<u>निर्णय</u> **दिनांक :- 28.08.2023**

यह अपील धारा 224, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विद्वान भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा अपील संख्या 12/1998 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26-04-2002 बउनवानी मंगली बनाम कुडियाराम के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलांट ने विद्वान परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, तिजारा के समक्ष एक वाद बाबत् घोषणा एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी तथा तकासमा का वाद में अंकित वादग्रस्त आराजी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी वादीगण की पैतृक संपत्ति है जिसमें वादीगण का जन्म सिद्ध अधिकार है। अतः वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें एवं 1/3 हिस्से का खातेदार लालसिंह को घोषित किया जाकर विवादित आराजी का बंटवारा किये जाने का निवेदन किया। वादपत्र प्रस्तुत होने पर उसे दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर वाद के कथनों का विरोध कर वाद खारिज करने का अनुरोध किया गया। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने उभयपक्षकारान की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 03-02-1997 से वादी का वाद बरूये राजीनामा डिक्री किया गया है जिस निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर

अपील/डीबी/टीए/2689/2002/अलवर
कुडियाराम बनाम मंगली

अपीलांट्स ने विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उपस्थित योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26–04–2002 से अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03–02–1997 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया, इसी निर्णय व डिक्री दिनांक 26–04–2002 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3– अपील पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4– अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए उसमें अंकित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए एवं अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का निर्णय कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। विद्वान सहायक कलक्टर, तिजारा ने अपने निर्णय दिनांक 03–02–1997 को पारिवारिक राजीनामें के तहत अपना निर्णय पारित किया जिसकी किसी भी पक्षकार ने आज दिनांक तक कोई अपील किसी भी न्यायालय में पेश नहीं की है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर गौर नहीं किया कि दावे में लालसिंह ने कोई आपत्ति या अपील कभी भी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने लालसिंह के हस्ताक्षर न होना मानते हुए विद्वान सहायक कलक्टर के निर्णय दिनांक 03–02–1997 को निरस्त करने में विधि भूल की है। लालसिंह को राजीनामें से जो हिस्स बनता है, वह उसे दिया जा चुका है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 23–03–1998 को स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय सुनने पर खसरा नं0 620 व 622 जिसके नये नंबर 1137, 1138, 1140 व 1141 बने हैं उसको पैत्रिक सम्पति होना नहीं माना था। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है कि रेस्पो0 सं0 1 ल0 4 की अपील मियाद बाहर थी, जिसे विद्वान अपीलीय न्यायालय ने गैर कानूनी तौर पर अन्दर मियाद मानते हुए

स्वीकार करने में विधिक भूल की है। सम्पति में लड़कियों का कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता है व दीनदयाल के जिन्दा रहते हुए उसकी पुत्रीयों को किसी भी प्रकार का कोई हक मांगने का कोई अधिकार नहीं है, किन्तु विद्वान अपीलीय न्यायालय ने बिलावजह दीनदयाल की पुत्रियों का हिस्सा पैतृक सम्पति में होना मानते हुए उन्हें सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए केस को रिमाण्ड करने का आदेश देने में भारी भूल की है। लालसिंह ने परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है। अतः राजीनामे से जो हिस्सा उनका बनता है वह उसे दिया जा चुका है। अतः लालसिंह के हस्ताक्षर न होने से राजीनामे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कयोंकि हिस्सा दीनदयाल जी ने अपने पुत्रों को दिया है। अतः जब लालसिंह जी की ओर से विद्वान परीक्षण न्यायालय की डिक्री के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है तो लालसिंह के हस्ताक्षर न होने के आधार पर डिक्री को निरस्त नहीं कराया जा सकता है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने रेस्पो0 सं0 1 ल0 4 जो कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थीं, व उनकी कोई फाईडिंग नहीं थी व ना ही उनका नाम किसी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज है व ना ही रेस्पो0 सं0 1 ल0 4 ने कोई वाद वास्ते घोषणा खातेदारी या बंटवारे हेतु प्रस्तुत ही किया है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने जिन रूलिंग्स के आधार पर अपना निर्णय पारित किया है उन रूलिंग्स के तथ्य अपीलांट्स के प्रकरण से कतई विपरीत हैं। विद्वान भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का निर्णय आदेश 41 नियम 24 सी0पी0सी0 की मंशा के कतई विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 26-04-2002 निरस्त फरमाया जावें व विद्वान सहायक कलक्टर, तिजारा का निर्णय व डिक्री दिनांक 03-02-1997 को बहाल रखे जाने का निवेदन किया।

5- प्रत्युत्तर में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने जो प्रकरण विद्वान परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है, वह सही है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें।

अपील/डीबी/टीए/2689/2002/अलवर
कुडियाराम बनाम मंगली

6- हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया।

7- विद्वान सहायक जिलाधीश, तिजारा ने अपने निर्णय दिनांक 03-02-1997 में अंकित किया कि वाद वादीगण बरूये राजीनामा डिक्री किया गया है।

8- विद्वान भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर, अलवर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26-04-2002 से अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03-02-1997 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है।

9- विद्वान सहायक कलक्टर, तिजारा (अलवर) ने दिनांक 03-02-1997 को निर्णय पारित किया कि वाद वादीगण बरूये राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 1097, 1098, 1099, 1100 व 1101 वाके ग्राम सैदपुर का बांध के बाहर है में 1/4 हिस्से में से तीनों पुत्रों को बराबर-बराबर बांटकर दे दिया है एवं 1122 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा कुडियाराम व रामअवतार में आधी-आधी रहेगी। यह आराजी बॉँध के भीतर की है। इसके तीसरे हिस्से के बदले में लालसिंह को बांध के बाहर की जमीन में जो आम के पेड़ जो संख्या में 9 हैं, दे दिये गये हैं एवं पेड़ के नीचे की आराजी भी उसी की रहेगी। आराजी खसरा नं0 1137, 1138, 1140 व 1141 की आराजी को सड़क की तरफ जो आराजी 15 फुट भीतर तक के बराबर तीन हिस्से किये गये हैं जिसमें उत्तर में लालसिंह को बीच में रामअवतार को तथा दक्षिण का हिस्सा कुडियाराम को दिया गया है। इस जमीन में से उत्तर की तरफ नदी के किनारे 700 वर्गगज का टुकड़ा अलग कर दिया गया है जिसमें तीनों कुडियाराम, रामअवतार, लालसिंह का बराबर हिस्सा रहेगा। सिंचाई साधन दो डीजल इंजन तथा अन्य सिंचाई के जो भी साधन है पार्टी नं0 2 का तीनों का बराबर-बराबर हिस्सा रहेगा, सामने की जमीन उसने जिसकी हद में जो पेड़ आयेगा वह पेड़ उसी का रहेगा। पार्टी नं0 1 दीनदयाल एवं उसकी पत्नि का

भरण पोषण कुडियाराम के जिम्मे रहेगा। बहनों का भात वगैरह का खर्चा तीनों पुत्रों का बराबर से रहेगा।

10- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि नकल जमाबन्दी सम्वत् 2013 ल0 2016 व नकल जमाबन्दी सम्वत् 2018 से 2021 विवादित आराजी नानगा पुत्र भागा जाति माली सा0देह खातेदार है जिसमें अंकित आराजी खसरा नं0 साबिक 620, 622, 600, 599, 601, 602 में वादीगण 1, 2 व प्रतिवादी नं0 1, 2 असल का 1/4-1/4 हिस्सा है तथा माना का एक लड़का नानगा हुआ और नानगा के चार लड़के हैं जिसमें दीनदयाल, बुद्धा, शादी, तुलसाराम, दीनदयाल के हिस्से में वादी नं. 1, 2 प्रतिवादी नं0 1, 2 असल, बुद्धा के वारिस प्रतिवादी नं0 4, 5, 6, तथा शादी को वारिस प्रतिवादी नं0 7, 8, 9, 10 हैं। तुलसाराम अपना हिस्सा विक्रय कर चुके है।

11- पत्रावली में दिनांक 24-10-1994 को वादीगण द्वारा बाहमी पारिवारिक राजीनामा पेश किया गया जो दिनांक 27-06-1995 को बाद तस्दीक था, पत्रावली शामिल किया गया। विद्वान सहायक कलक्टर, तिजारा द्वारा राजीनामा के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किया गया। राजीनामा के अवलोकन से विदित होता है कि राजीनामा पर प्रतिवादी सं0 2 लालसिंह पुत्र नानगा के हस्ताक्षर या अंगुठा निशानी नहीं है। राजीनामा पर दीनदयाल की पुत्रियों के हस्ताक्षर नहीं है जिससे राजीनामा सभी पक्षकारान के बीच नहीं किया गया है और मानने योग्य नहीं है। प्रकरण में वादीगण जो दीनदयाल के पुत्र है, ने प्रतिवादी सं0 1 दीनदयाल की पुत्रियों को पक्षकार ही नहीं बनाया है। वादग्रस्त आराजीयात पैतृक सम्पति है।

जिससे स्पष्ट है कि विद्वान सहायक कलक्टर, तिजारा का निर्णय विधिसम्मत् नहीं होकर काबिले खारिजी है।

12- विद्वान अपीलीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने विस्तृत विवेचन करते हुए अपील स्वीकार कर सहायक कलक्टर, तिजारा का निर्णय दिनांक 03-02-1997 निरस्त कर पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया है जो उचित है।

13- अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाकर विद्वान भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व

अपील/डीबी/टीए/2689/2002/अलवर
कुडियाराम बनाम मंगली

अपील प्राधिकारी, अलवर का निर्णय व डिक्री दिनांक 26-04-2002 यथावत् रखा जाता है।

14- पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा) **(सुरेन्द्र माहेश्वरी)**

सदस्य **सदस्य**